संख्या-7/2024/143/अस्सी-2-2024/80-2099/87/2022

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूँ, कासगंज, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिधार्थनगर, श्रावस्ती, महोबा, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, झाँसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बाँदा, एवं चित्रकूटधाम।

2. मुख्य विकास अधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूँ, कासगंज, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिधार्थनगर, श्रावस्ती, महोबा, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, झाँसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बाँदा, एवं चित्रकूटधाम।

3. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ।

4. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 जून,2024

विषय: उत्तर प्रदेश के भौगोलिक उपदर्शन (जी0आई0) पंजीकृत विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ता (Authorized User) बनाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत ही है कि शासनादेश सं0-12/2022/120/अस्सी-2-2022/80-2099/87/2022 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indication) पंजीयन कराने एवं ऐसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भौगोलिक उपदर्शन प्राप्त उत्पादों के उत्पादकों /निर्यातकों/विक्रेताओं को अधिकृत उपयोगकर्ता (Authorized User) के रूप में पंजीयन कराते हुए जी0आई0 टैग के साथ विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें जी0आई0 प्रोत्साहन कार्यो हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ''क्लस्टर सुविधा इकाई'' को ही जी0आई0 प्रोत्साहन कार्यो के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद समिति के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।

2- प्रदेश के जी0आई0 पंजीकृत कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की संख्या 06 से बढ़कर अद्यतन 20 हो गई है(सूची संलग्न)। जी0आई0 पंजीकृत समस्त कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के हितधारकों को विपणन का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में अधिकृत उपयोगकर्ता बनाना लक्षित है।

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14.12.2022 के बिन्दु-5 में जी0आई0 पंजीकृत उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने की प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रक्रिया में जी0आई0 रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा कतिपय संशोधन के दृष्टिगत बिन्दु-5 की निम्नवत संशोधित व्यवस्था के साथ उक्त जी0आई0 पंजीकृत समस्त उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ता बनाये जाने अपेक्षित हैं:-

4- जी0आई पंजीकृत उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने हेतु शासनादेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार प्रकिया निम्नवत होगी:-

4.1 जनपद के कृषि क्षेत्र एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी के पंजीकृत जी0आई0 उत्पादों के उत्पादकों/ निर्यातकों/विक्रेताओं को अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीयन कराने हेतु मौलिक कृषि उत्पाद के लिए सम्बन्धित कृषि/उद्यान विभाग के जनपदीय अधिकारी तथा प्रसंस्कृत उत्पाद हेतु अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं उपायुक्त, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा जिला स्तरीय समिति की देखरेख में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

(i) जी0आई0 'फार्म- 3 ए' पर आवेदन कराया जायेगा।

(ii) एक आवेदन पर अधिकतम किसी भी संख्या में यथा सुविधानुसार अधिकृत उपयोगकर्ता आवेदकों के आवेदन एक साथ किये जा सकते हैं।

(iii) आवेदन को उपरोक्तानुसार उत्पाद से सम्बन्धित विभाग के जनपदीय अधिकारी द्वारा अपने अग्रसारण पत्र सहित जी0आई0 प्रोपराइटरी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(iv) अधिकृत उपयोगकर्ता हेतु जियोग्राफिकल इंडीकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई को निम्न प्रपत्रों के साथ आवेदन उत्पाद से सम्बन्धित विभाग के जनपदीय अधिकारी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपने अग्रसारण पत्र सहित प्रेषित करते हुए जनपदीय समिति के अध्यक्ष को सूचित किया जायेगा:-

(क) जी0आई0 'फार्म- 3 ए' (पूर्ण प्रविष्टियों एवं हस्ताक्षरसहित)।

(ख) जी0आई0 प्रोपराइटरी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों हेतु एक अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्याप्त है)।

(ग) जी0आई0 उत्पाद से सम्बन्धित 'स्टेटमेन्ट ऑफ केस' (समस्त आवेदकों हेतु एक 'स्टेटमेन्ट ऑफ केस' पर्याप्त है)।

(घ) अधिकृत उपयोगकर्ता हेतु शुल्क प्रति आवेदक रू. 10/- (रूपया दस मात्र) की दर से देय है। शुल्क हेतु बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "Registrar of Geographical Indication" के नाम एवं चेन्नई में देय हो आवश्यक होगा (समस्त आवेदकों हेतु रू. 10/- (रूपया दस मात्र) की दर से समेकित धनराशि का एक बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट पर्याप्त होगा)।

(ङ) आवेदन भेजने का पता निम्नवत है :-

Assistant Registrar of Trade Marks & GI
Head of Office
Geographical Indications Registry
Intellectual Property Office Building,
G.S.T Road, Guindy, Chennai – 600 032
Phone: 044- 22502092 ; **Fax:** 044-22502090
Email: gir-ipo[at]nic[dot]in, **Website:** ipindia.gov.in

4.2 अधिकृत उपयोगकर्ता स्वयं भी जी0आई0 प्रोपराइटरी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

4.3 अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने हेतु कठिनाई सूचित होने पर नोडल एजेन्सी इस हेतु यथावश्यक शासन स्तर से भी निराकरण सुनिश्चित करायेगी।

5- जी0आई0 पंजीयन के साथ ही पंजीकृत समस्त जी0आई0 उत्पादों के हितधारकों को अधिक से अधिक संख्या में अधिकृत उपयोगकर्ता बनाना लक्षित है। अत: जी0आई0 उत्पादों के उत्पादकों को विपणन का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक:यथोक्त</u>।

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2024/143/अस्सी-2-2024/80-2099/87/2022,तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग।
3. संबन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश की 100 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

विनीत प्रकाश
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-7/2024/143/अस्सी-2-2024/80-2099/87/2022
दिनांक 27 जून,2024 का संलग्नक।

उत्तर प्रदेश के पंजीकृत जी0आई0 विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का विवरण

क्रम सं0	जी0आई0 संख्या	कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद का नाम	जनपद/क्षेत्र	प्रोपराइटरशिप
1	50	इलाहावादी सुर्खा अमरूद	प्रयागराज एवं कौशाम्बी जनपद	इलाहावादी सुर्खा अमरूद उत्पादक कल्याण संघ, बंगाराबाद, बारमोली, इलाहाबाद।
2	125	आम मलिहावादी दशहरी	लखनऊ	नेशलन हॉर्टिकल्चर बोर्ड, सं0-85 औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-18 गुरूग्राम, हरियाणा- 122015
3	145	बासमती	सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूँ, कासगंज, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत।	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण (एपीडा), एन0सी0यू0आई0 बिल्डिंग 3, श्री संस्थागत क्षेत्र अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016
4	205	कालानमक चावल	बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिधार्थनगर एवं श्रावस्ती	काला नमक सुगन्धित चावल उत्पादकता एवं संरक्षण सोसाइटी, भीमापार निकट रेलवे क्रासिंग, सिद्धार्थनगर, उ0प्र0
5	206	रतौल आम	बागपत जनपद।	रतौल आम उत्पादक संगठन, रतौल बागपत, उ0प्र0- 250101
6	401	महोबा देसावरी पान	महोबा जनपद।	चौरसिया समाज सेवा समिति पान मंडी महोबा, उ0प्र0- 210407
7	668	प्रतापगढ ऑवला	प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर एवं वाराणसी	पुष्पांजली ग्राम उद्योग सेवा समिति, शुकुलपुर दहिलामऊ, जनपद- प्रतापगढ।
8	672	हाथरस हींग	हाथरस जनपद।	हाथरस हींग ट्रेड एसोसिएशन, गली नं0-05 गिरराज कालोनी, अलीगढ़ रोड, हाथरस- 204101
9	715	आदमचीनी चावल	चन्दौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर,	ईशानी एग्रो0 प्रोडयूसर कं0लि0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			सोनभद्र, गाजीपुर एवं बलिया।	ग्राम व पोस्ट- इमिलिया सैयदराजा, चन्दौली- 232110
10	716	बनारस लगडा आम	वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चन्दौली, सोनभद्र, गाजीपुर एवं बलिया।	जया सीड प्रोडयूसर कं0लि0, जयापुर जखिनी, जनपद- वाराणसी- 221305
11	717	रामनगर भांटा	वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र।	काशी विश्वनाथ फार्मर प्रोडयूसर कं0लि0, जैरामपुर सरैया नं0-2, जनपद- वाराणसी- 221007
12	723	मुजफ्फरनगर गुड़	सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुज़फ्फरनगर, बागपत एवं मेरठ।	हरितजोन फार्मस प्रो0कं0लि0, रसुलपुर जाटन ककरा, मुजफ्फरनगर- 251318
13	730	बनारस पान (पत्ता)	जौनपुर, चन्दौली, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र।	1- उ0प्र0 सरकार कच्छारी, वाराणसी- 221002 2- नमामि गंगे फार्मर प्रोडयूसर कं0लि0, लोहराडीह कपसेठी, वाराणसी- 221403
14	819	बुन्देलखण्ड कठिया गेँहू	झाँसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बाँदा एवं चित्रकूटधाम	कठिया व्हीट बंगरा प्रोडयूसर कं0लि0,मोहल्ला देवरी रानीपुर, झाँसी-284205
15	823	बनारस लाल भरवा मिर्च	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया एवं आजमगढ़,	प्रगतिशील अरजीलिने फार्मर प्रोडयूसर कं0लि0, कर्नादादी काशीपुर, वाराणसी-221311
16	833	वाराणसी का चिरईगांव करोंदा	वाराणसी	नारीकिसान काशी प्रोडयूसर कं0लि0, एस0ए0-14/109, हवेलिया, सारनाथ, वाराणसी-221007
17	859	बनारस लाल पेडा	वाराणसी	बनारस मिष्ठान विकास समिति, एस0.28/177, पंचक्रोशी रोड,शिवपुर, वाराणसी-221003
18	941	बनारस तिरंगी बर्फी	वाराणसी	महानगर उद्योग व्यापार समिति,सी-24/48, पिपलानी कटरा, कबीर चौराहा, वाराणसी-221001
19	999	जौनपुर इमरती	जौनपुर	जौनपुर इमरती मिष्ठान समिति, नखास सदर, अराजी नेवादा, जौनपुर-222002
20	1000	बनारस ठंडई	वाराणसी एवं मिर्जापुर	महानगर उद्योग व्यापार समिति, सी-24/48, पिपलानी कटरा, कबीर चौराहा, वाराणसी-221001

स्रोत: https://ipindia.gov.in/index.htm

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in